F.No. 15-36/1-NMA/2020
Government of India
Ministry of Culture
National Monuments Authority

PUBLIC NOTICE

It is brought to the notice of public at large that the draft Heritage Bye-Laws of Centrally Protected Monument "Anantha Basudeva Temple, Bhubaneswar", Odisha have been prepared by The Authority, as per Section 20(E) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2010 and Rule 18 of National Monuments Authority (Appointment, Function and Conduct of Business) Rules, 2011 and the same is uploaded on the following websites:

1. National Monuments Authority www.nma.gov.in
2. Archaeological Survey of India www.asi.nic.in
4. Archaeological Survey of India, Bhubaneswar Circle www.asibbscircle.in

Any person having any suggestion or comment may send the same in writing to Member Secretary, National Monuments Authority, 24, Tilak Marg, New Delhi- 110001 or mail at the email id hbl-section@nma.gov.in latest by 18th February 2021. The person making comment or suggestions should also give his name and address.

The objection or comment which may be received before the expiry of the period of 30 days i.e. 18th February 2021 shall be considered by The National Monuments Authority.

(N.T. Paite)
18th January 2021

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

अनंत वासुदेव मंदिर, भुवनेश्वर, ओडिशा के लिये धरोहर उप-विधि

Heritage Byelaws for Anantha Basudeva Temple, Bhubaneswar, Odisha

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 जिसे प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि बनाना और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम (22) के साथ पढ़ा जाए, की धारा 20 ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक **"अनंत वासुदेव मंदिर, भुवनेश्वर, ओडिशा"** के लिए निम्नलिखित प्रारूप धरोहर उप-विधि जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य निष्पादन), नियमावली, 2011 के नियम 18, उप-नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिनों के अंदर आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हों, को सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (संस्कृति मंत्रालय), 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली के पास भेजा जा सकता है अथवा hbl-section@nma.gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

उक्त प्रारूप उप-विधि के संबंध में किसी व्यक्ति से यथाविनिर्दिष्ट अवधि से पहले प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

धरोहर उप-विधि

अध्याय I

प्रारंभिक

1.0 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

(i) इन उप-विधियों को केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक **"अनंत वासुदेव मंदिर, भुवनेश्वर, ओडिशा"** के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2021 कहा जाएगा।

(ii) ये स्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र पर लागू होंगे।

(iii) ये उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

1.1 परिभाषाएं-

(1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिलालेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं-

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा प्रभाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा प्रभाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 (1958 का 24) है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक पुरातत्व अधीक्षक से निम्नतर पद (रैंक) का नहीं है;

(ङ) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त के रैंक से नीचे न हो या समतुल्य रैंक का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न-भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जल के प्रदाय का उपबंध करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए उपबंध नहीं हैं;]

(ज) "तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लॉट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात= भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;

(झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ट) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ठ) "परिरक्षण" से आशय किसी स्थान की विद्यमान स्थिति को मूल रूप से बनाए रखना और खराब होती स्थिति की गति को धीमा करना है;

(ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(त) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(थ) "पुन:निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी समान क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएँ हैं;

(द) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन:निर्माण नहीं होंगे।

(2) यहां प्रयोग किए शब्द और अभिप्राय जो परिभाषित नहीं हैं उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि

2. **अधिनियम की पृष्ठभूमि** : धरोहर-विधियों का उद्देश्य केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित स्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून,1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.1 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध : प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958, धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेषनियम (धरोहर उप नियमों का निर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) 2011, नियम 22 में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के लिए उप नियम बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप नियम बनाने के लिए पैरामीटर का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्ते तथा कार्य संचालन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप नियमों को अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.2 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां: प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत या पुनरुद्धार के लिए आवेदन का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून,1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना की किसी प्रकार की मरम्मत अथवा

पुनरुद्धार का काम कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी मरम्मत और पुनरुद्धार को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी विनियमित क्षेत्र में कोई भवन अथवा संरचना अथवा भूमि है और वह ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा जमीन पर कोई निर्माण, अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार का कार्य जैसी भी स्थिति हो, कराना चाहता है, तो वह निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) नियम,2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक - अनंत वासुदेव मंदिर, भुवनेश्वर का स्थान एवं अवस्थिति

3.0 स्मारक का स्थान एवं अवस्थिति : -

- अनंत वासुदेव मंदिर 20°14’26.10 उत्तर, 85°50’08.88 पूर्व जीपीएस निर्देशांक पर स्थित है।
- अनंत वासुदेव मंदिर भुवनेश्वर शहर से 7.8 किलोमीटर उत्तर में, बिन्दु सागर ताल के किनारे पर, गौरी नगर नामक पुराने नगर के इलाके में स्थित है।
- यह बिन्दु सागर रोड से जुड़ा हुआ है जो आगे पुरी-कटक राष्ट्रीय राजमार्ग, एनएच-203 से जुड़ती है।
- निकटतम रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन है जो इस मंदिर से पूर्वोत्तर दिशा में 3.5 किलोमीटर (पुरी रोड से होकर) की दूरी पर स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो उत्तर-पश्चिम दिशा में मंदिर से 3.1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

चित्र 1, केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक- अनंत वासुदेव मंदिर, भुवनेश्वर की अवस्थिति को दर्शाता गूगल मानचित्र

3.1 स्मारक की संरक्षित सीमा:

केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक अनंत वासुदेव मंदिर, भुवनेश्वर की संरक्षित सीमाएं **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती हैं।

3.1.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग(ए.एस.आई.) के अभिलेख (रिकार्ड) के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

अनंत वासुदेव मंदिर, भुवनेश्वर की राजपत्र अधिसूचना की प्रति **अनुलग्नक-II** पर देखी जा सकती है।

3.2 स्मारक का इतिहास :

पश्चिम दिशा की ओर स्थित यह मंदिर भुवनेश्वर के वैष्णव मंदिरों में से सबसे महत्वपूर्ण है जहां अधिकतर शैव मंदिर मौजूद हैं। इस मंदिर का निर्माण 1278 सीई (शक संवत 1200) में किया गया था। यह वही मंदिर है जहां अनंत नाम का आदिकालीन सर्प भगवान विष्णु की शैय्या और छत्र के रूप में मौजूद है। एक शिलालेख के अनुसार, इसका निर्माण पश्चिमी गंगा साम्राज्य के राजा अनंगविमादेव-III की पुत्री, चन्द्रिका देवी द्वारा बिन्दु सागर के तट पर श्रीकृष्ण और बलराम के सम्मान में किया गया था। एकाम्र चन्द्रिका के अनुसार, भगवान विष्णु या पुरुषोत्तम ने भगवान शिव के आदेश पर एकाम्र क्षेत्र में स्वयं को एक द्वारपाल के रूप में स्थापित किया था। अत: पवित्र बिन्दु सागर तालाब में स्नान करने से पहले भगवान वासुदेव की पूजा करने की परंपरा है।

3.3 स्मारक का विवरण (वास्तुकला विशेषताएं, तत्व, सामग्री आदि) :

देउल, जगमोहन, नट मंडप और भोग मंडप वाला यह मंदिर लिंगराज मंदिर की लगभग लघु प्रतिकृति है। इस मंदिर की ऊंचाई 18.29 मीटर है। इस मंदिर का *अनुराह-पग* बड़े आकार से कम होते आकार के चार अध्यारोपित अंग-शिखरों से सुसज्जित है। भुवनेश्वर में यह एक मात्र वैष्णव मंदिर है जो शैव मंदिरों के समूह के बीच कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को समर्पित है। देउल एक ऊंचे प्लिंथ पर निर्मित है; इसकी योजना सप्त-रथ पर आधारित है और भव्य, सुंदर सज्जा वाला एवं सुपरिष्कृत है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी ईस्वी का है।

3.4 वर्तमान स्थिति :

3.4.1 स्मारक की स्थिति - स्थिति का मूल्यांकन

मंदिर के परिरक्षण की स्थिति अच्छी है।

3.4.2 दैनिक पदार्पण और कभी-कभार जुटने वाली भीड़ की संख्या:

इस मंदिर में प्रतिदिन लगभग 350 दर्शक/श्रद्धालु आते हैं। अगस्त में अनंत व्रत के अवसर पर इस मंदिर को देखने लगभग 4500 दर्शक/श्रद्धालु आते हैं।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में, मौजूदा क्षेत्रीकरण, यदि कोई है

4.0 मौजूदा क्षेत्रीकरण :

i. भुवनेश्वर विकास क्षेत्र के लिए वृहत्त विकास योजना, 2030 के अनुसार : गौतम नगर मौज़ा के लिए प्रस्तावित भूमि उपयोग में (क्षेत्र सं. 18 : पुराना भुवनेश्वर) -अनंत वासुदेव मंदिर को "विशेष धरोहर क्षेत्र" के अंतर्गत रखा गया है, और 'संरक्षित स्मारक और परिसीमा के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

ii. स्थानीय अधिनियम में स्मारक के लिए कोई विशिष्ट क्षेत्रीकरण नहीं किया गया है, लेकिन **भुवनेश्वर विकास योजना क्षेत्र की समग्र योजना,** 2030 में इस मंदिर को **'विशेष धरोहर क्षेत्र'** में रखा गया है। **भुवेनश्वर विकास प्राधिकरण (योजना और भवन मानक) विनियम, 2008** के अनुसार, धरोहर भवन/स्मारक और धार्मिक स्थल को **सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र** में रखा गया है (भाग III, 24 और 25) जबकि ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के क्षेत्र को 'विशेष क्षेत्र उपयोग जोन' में रखा गया है (भाग III, 24 और 25)।

4.1 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश :

इन्हें **अनुलग्नक-III** में देखा जा सकता है।

अध्याय V

प्रथम अनुसूची के अनुसार जानकारी, नियम 21 (1) /भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख में परिभाषित सीमाओं के आधार पर निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र का कुल स्टेशन सर्वेक्षण।

5.0 अनंत वासुदेव मंदिर, भुवनेश्वर की रूपरेखा योजना:

रामेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर की सर्वेक्षण योजना अनुलग्नक- IV में देखी जा सकती है।

5.1 सर्वेक्षण से प्राप्त किए गए आंकड़ों का विश्लेषण:

5.1.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

- संरक्षित क्षेत्र (लगभग) : 1563.749 वर्गमीटर (0.386 एकड़)।
- प्रतिषिद्ध क्षेत्र (लगभग) : 47262.459 वर्गमीटर (11.678 एकड़)।
- विनियमित क्षेत्र (लगभग) : 283025.689 वर्गमीटर (69.937 एकड़)।

5.1.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण :

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

उत्तर- इसकी उत्तर दिशा में विश्रामगृह, धर्मशालाएं, बिन्दु सागर के तट पर मंदिर, कंक्रीट सड़क, 240 वोल्ट विद्युत लाइन, पेड़-पौधे, ह्यूम पाइप पुलिया, फुटपाथ और ट्रांसफार्मर मौजूद हैं।

दक्षिण- इस दिशा में अतिथिगृह, धर्मशालाएं, अनंत वासुदेव आनंद बाजार मंडप और कंक्रीट सड़क मौजूद हैं।

पूर्व- इस दिशा में फुटपाथ, 11 केवी विद्युत लाइन, चिनाई किया गया नाला और पक्की सड़क मौजूद हैं।

पश्चिम- इस स्मारक की पश्चिमी दिशा में बिन्दु सागर तालाब मौजूद है।

विनियमित क्षेत्र :

उत्तर- उत्तर-पश्चिम दिशा में बिन्दु सागर तालाब स्थित है। इस दिशा में चिनाई वाले नाले सहित एक कंक्रीट सड़क, 240 वॉल्ट विद्युत लाइन, उत्तर से पूर्व दिशा की ओर बहने वाला नाला, बिन्दु सागर के तट पर कुछ मंदिर, विश्रामगृह, धर्मशालाएं और आधुनिक निर्माण कार्य मौजूद हैं।

दक्षिण- इस दिशा में सहस्त्र लिंग टैंक, लिंगराज मंदिर, चित्रकारिणी मंदिर जैसे राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक, विश्रामगृह, धर्मशालाएं, रिहायशी मकान (भूमि तल, भूमि तल+1 और कुछ भूमि तल +2), 11 केवी विद्युत लाइन और टेलीफोन टावर, मार्केट कॉम्प्लेक्स, पक्की और कंक्रीट सड़कें और कई छोटे स्थानीय मंदिर मौजूद हैं।

पूर्व- इस दिशा में लिंगराज मार्केट कॉम्प्लेक्स, आधुनिक निर्माण, अधिकतर रिहायशी संरचनाएं (भूमि तल, भूमि तल+1 और कुछ भूमि तल +2), 11 के.वी. से 240 केवी

विद्युत लाइन, कार्ट ट्रैक रोड और पूर्वोत्तर दिशा से पूर्वी दिशा की ओर बहने वाला नाला मौजूद हैं।

पश्चिम- ब्रह्मा मंदिर सहित बिन्दु सागर ताल, बिन्दु सागर ताल के तट पर स्थित कुछ अन्य मंदिर, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संरक्षित कुछ मंदिर, चिनाई नाला, पक्की सड़क, बोरवेल, शौचालय, आधुनिक निर्माण अधिकतर रिहायशी संरचनाएं (भूमि तल, भूमि तल+1 और कुछ भूमितल +2)।

5.1.3. निर्मित क्षेत्र का विवरण

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

- **उत्तर :** इस दिशा में बिन्दु सागर तालाब मौजूद है।
- **दक्षिण :** यह मुख्यत: निचला क्षेत्र है जो दलदल युक्त है और स्मारक की दक्षिण-पूर्व दिशा में एक गड्ढा है।
- **पूर्व :** इस दिशा का क्षेत्र दलदल युक्त है और उसमें गड्ढा भी है।
- **पश्चिम :** इस दिशा में बिन्दु सागर तालाब मौजूद है।

विनियमित क्षेत्र

- **उत्तर :** उत्तर-पश्चिम दिशा में बिन्दु सागर तालाब मौजूद है। दक्षिण में रिहायशी भवनों के बीच पेड़-पौधों से युक्त कुछ खुले भूखंड मौजूद हैं।
- **दक्षिण :** इस दिशा में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संरक्षित विरासत झील, रिहायशी भवनों के बीच पेड़-पौधों से युक्त कुछ खुले भूखंड मौजूद हैं।
- **पूर्व :** इस दिशा में कुछ पार्क, तालाब, रिहायशी भवनों के बीच पेड़-पौधों से युक्त कुछ खुले भूखंड मौजूद हैं।
- **पश्चिम :** इस दिशा में बिन्दु सागर तालाब, निचले और दलदल क्षेत्र, रिहायशी भवनों के बीच पेड़-पौधों से युक्त कुछ खुले भूखंड मौजूद हैं।

5.1.4. परिसंचलन के अंतर्गत आने वाला आवृत्त क्षेत्र - सड़क, फुटपाथ आदि

इस स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित, दोनों सीमाओं में, पक्की सड़क, कार्ट ट्रैक, फुटपाथ मौजूद हैं। इसके अलावा, बिन्दु सागर रोड, कोटि-तीर्थ रोड जैसे कुछ चौराहे मौजूद हैं। साथ ही स्मारक की संरक्षित चारदीवारी के भीतर पथ मौजूद हैं।

5.1.5. भवन की ऊंचाई (क्षेत्रवार) पूर्वी द्वार की ओर :

- **उत्तर :** अधिकतम ऊंचाई 7 मीटर है
- **दक्षिण :** अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर है
- **पूर्व :** अधिकतम ऊंचाई 7 मीटर है
- **पश्चिम और उत्तर-पश्चिम :** अधिकतम ऊंचाई 7 मीटर है

5.1.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत राज्य द्वारा संरक्षित स्मारकों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सूचीबद्ध विरासत भवन यदि उपलब्ध हों:

- बिन्दु सागर तालाब (संरक्षण के लिए बीएमसी की सीमाओं के अंतर्गत विरासत झील और जलाशय तथा झील के परिधि क्षेत्र का पुनर्विकास)
- मित्रेश्वर मंदिर
- मकरेश्वर मंदिर

5.1.7. सार्वजनिक सुविधाएं :

स्मारक पर पेयजल सुविधा और पथ उपलब्ध हैं। स्मारक के भीतर आगंतुकों के लिए कोई शौचालय खंड मौजूद नहीं है।

5.1.8. स्मारक तक पहुंच:

इस स्मारक तक एक कंक्रीट सड़क (बिन्दु सागर रोड) के माध्यम से पहुंचा जा सकता है और सड़क द्वारा इसके मुख्य द्वार तक पहुंचा जा सकता है।

5.1.9. अवसंरचनात्मक सेवाएं (जलापूर्ति, झंझाजल अपवाह तंत्र, जल-मल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि) :

यहां जलापूर्ति के अतिरिक्त कोई अन्य बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है।

5.1.10 स्थानीय निकायों के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्रीकरण :

- भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (योजना एवं निर्माण मानदंड), विनियम-2008
- नगर योजना एवं सुधार न्यास अधिनियम, 1956
- ओडिशा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982

विवरण के लिए कृपया **अनुलग्नक-III** देखें।

अध्याय VI

स्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक मूल्य

6.0. वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व :

देउल, जगमोहन, नट मंडप और भोग मंडप वाला यह मंदिर लिंगराज मंदिर की लगभग लघु प्रतिकृति है और इसका निर्माण अनंग भीम देव-III की पुत्री, चन्द्रिका देवी द्वारा किया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई 18.29 मीटर है। इस मंदिर का अनुराह-पग बड़े आकार से कम होते आकार के चार अध्यारोपित अंग-शिखरों से सुज्जित है। भुवनेश्वर में यह एक मात्र वैष्णव मंदिर है जो शैव मंदिरों के समूह के बीच कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को समर्पित है। *देउल* एक ऊंचे प्लिंथ पर निर्मित है; इसकी योजना *सप्त-रथ* पर आधारित है और भव्य, सुंदर सज्जा वाला एवं सुपरिष्कृत है। यह 13वीं शताब्दी सीई का है।

6.1. स्मारक की संवेदनशीलता (उदाहरणार्थ : विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव आदि):

यह स्मारक कई आधुनिक निर्माणों, कंक्रीट सड़कों, टेलीफोन टावर आदि से चारों ओर से घिरा हुआ है।

6.2. संरक्षित स्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता :

यह स्मारक प्रतिषिद्ध क्षेत्र उत्तर और पश्चिमी भाग से साफ दिखाई देता है और विनियमित क्षेत्र के पश्चिमी एवं दक्षिण-पश्चिमी भाग से पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। स्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्रों के चित्र **अनुलग्नक-VI** पर देखे जा सकते हैं।

6.3. भूमि-उपयोग की पहचान करना :

अनंत वासुदेव मंदिर को "विशेष विरासत क्षेत्र" के अंतर्गत रखा गया है, 'संरक्षित स्मारक और परिसीमा' के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। वर्तमान में यह जीवंत (लिविंग) स्मारक है जिसमें बड़ी संख्या में आगंतुक/श्रद्धालु आते हैं।

मंदिर परिसीमा के निकट के क्षेत्र का प्रयोग अधिकतर रिहायशी और व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए किया गया है। स्मारक के आस-पास के क्षेत्र में कई सार्वजनिक और धार्मिक इमारतें (राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित) भी मौजूद हैं।

6.4. संरक्षित स्मारक के अलावा पुरातात्विक विरासत अवशेष:

- बिन्दु सागर तालाब (संरक्षण के लिए बीएमसी की सीमाओं के अंतर्गत धरोहर झील और जलाशय तथा झील के परिधि क्षेत्र का पुनर्विकास)
- मित्रेश्वर मंदिर
- मकरेश्वर मंदिर

6.5. सांस्कृतिक परिदृश्य :

वर्तमान समय में स्मारक से जुड़ा कोई सांस्कृतिक परिदृश्य नहीं है।

6.6 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा हैं और पर्यावरण प्रदूषण से स्मारकों को संरक्षित करने में भी मदद करते हैं:

बीएमसी की सीमाओं के अंतर्गत इस स्मारक के आस-पास के क्षेत्र में विरासत झील, बिन्दु सागर है और यह प्राकृतिक झील स्मारक के आस-पास के प्राकृतिक परिदृश्य का भाग है।

6.7. खुले स्थान और निर्माण का उपयोग:

अधिकतर सार्वजनिक इमारतें विनियमित क्षेत्र में स्थित हैं।

6.8. परंपरागत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप:

अनंत वासुदेव मंदिर एक लिविंग स्मारक है जिसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। प्रतिदिन भारी मात्रा में भोग तैयार किया जाता है जिसे भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है और तत्पश्चात इसे आगंतुकों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है।

6.9 स्मारक और विनियमित क्षेत्रों से से दिखाई देने वाला क्षितिज :

यह प्रतिषिद्ध क्षेत्र के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी ओर से स्पष्ट दिखाई देता है और विनियमित क्षेत्र के पश्चिमी एवं दक्षिण-पश्चिमी छोर से आंशिक रूप से दिखाई देता है।

6.10 पारंपरिक वास्तुकला :

स्मारक के इर्द-गिर्द कोई पारंपरिक वास्तुकीय संरचना मौजूद नहीं है और निकटवर्ती क्षेत्रों में सभी नए निर्माण किए गए हैं।

6.11 स्थानीय अधिकारियों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना :

शहर विकास योजना अनुलग्नक-**V** पर देखी जा सकती है।

6.12 भवन से संबंधित पैरामीटर:

(**क**) **साइट पर निर्माण की ऊँचाई (छत संरचना जैसे मम्टी**, **पैरापेट आदि सहित):** स्मारक के विनियमित क्षेत्र की सभी इमारतों की ऊँचाई **07** मीटर तक सीमित रहेगी।

(**ख**) **तल क्षेत्र:** एफएआर स्थानीय भवन उप-नियमों के अनुसार होगा।

(**ग**) **उपयोग: -** स्थानीय भवन उप-नियमों के अनुसार भूमि-उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं।

(घ) **अग्रभाग डिजाइन: -**

- अग्रभाग को स्मारक के परिवेश से मिलता-जुलता होना चाहिए।
- सामने की सड़क के किनारे या सीढ़ी वाले शाफ्ट के साथ फ्रेंच दरवाजे और बड़े कांच के अग्रभाग की अनुमति नहीं होगी।

(**ङ**) **छत डिजाइन: -**

- संरचनाएं, यहां तक कि अस्थायी सामग्री जैसे एल्यूमीनियम, फाइबर ग्लास, पॉली कार्बोनेट या इसी तरह की सामग्रियों का उपयोग भवन की छत को बनाने में करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- सभी सेवाओं जैसे कि छत पर रखी बड़ी एयर कंडीशनिंग यूनिटों, पानी की टंकी या बड़े जनरेटर सेट को स्क्रीन की दीवारों (ईंट/सीमेंट की चादर) का उपयोग करके ढका जाना चाहिए। इन सभी सेवाओं को अधिकतम अनुमेय ऊंचाई में शामिल किया जाना चाहिए।

(च) भवन निर्माण सामग्री: -

- स्मारक की सभी सड़क के किनारे सामग्री और रंग में संगति।
- आधुनिक सामग्री जैसे कि एल्यूमीनियम क्लैडिंग, ग्लास ईंट, और किसी भी अन्य सिंथेटिक टाइल या सामग्री को बाहरी फिनिश के उपयोग हेतु अनुमति नहीं होगी।
- पारंपरिक सामग्री जैसे ईंट और पत्थर का उपयोग किया जाना चाहिए।

(छ) रंग: - बाहरी दीवार का रंग स्मारकों के साथ मेल खाने वाले हल्के रंग का होना चाहिए।

6.13 आगंतुक हेतु सुख-सुविधाएं:

साइट पर आगंतुक हेतु सुख-सुविधाएं जैसे भवन पर रात में रोशनी, शौचालय, कैफेटेरिया, पेयजल स्मारिका दुकान, रैंप, वाई-फाई, सीवेज, अपवाह तंत्र (ड्रेनेज), ब्रेल सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

अध्याय VII

स्थल विशिष्ट अनुशंसाएं

7.1 स्थल विशिष्ट अनुशंसाएं

क) सेटबैक

- इमारत के सामने के किनारे में मौजूदा गली की लाइन सीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा। न्यूनतम खुले स्थान की अपेक्षाओं को सेटबैक या आंतरिक आंगनों और छतों की व्यवस्था के साथ पूरा करे जाने की आवश्यकता है।

ख) जगह को आगे बढ़ाने का प्रावधान (प्रोजेक्शन)

- गली के 'बाधा मुक्त' मार्ग से बाहर भूमि स्तर पर किसी भी तरह की सीढ़ी और पट्टियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। गलियों के मार्ग को वर्तमान बिल्डिंग एज लाइन से मापने वाले 'बाधा मुक्त' पथ के साथ निर्मित किया जाएगा।

ग) संकेत पट्टिकाएं

- विरासत क्षेत्र में संकेतक के लिए एलईडी या डिजिटल संकेत, प्लास्टिक फाइबर ग्लास या किसी अन्य उच्च परावर्तक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता है। बैनर की अनुमति नहीं दी जा सकती है; लेकिन विशेष कार्यक्रमों/मेले

आदि के लिए इसे तीन दिनों से अधिक नहीं रखा जा सकता है। विरासत क्षेत्र के भीतर होर्डिंग्स, बिल के रूप में किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- संकेतों को इस तरह रखा जाना चाहिए कि वे किसी भी विरासत संरचना या स्मारक के दृश्य को अवरुद्ध न करें और किसी पैदल यात्री को सामने से दिखाई दे।
- हॉकर्स और विक्रेताओं को स्मारक के दायरे में आने की अनुमति नहीं दी जाए।

7.2 अन्य सिफारिशें

- व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।
- निर्धारित मानकों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए प्रावधान किए जाएंगे।
- इस क्षेत्र को प्लास्टिक और पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा।
- सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसीमा के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf में देखा जा सकता है।

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CULTURE

NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following draft Heritage Bye-laws for the Centrally Protected Monument "**Anantha Basudeva Temple, Bhubaneswar, Odisha**", prepared by the Competent Authority and in consultation with the Indian National Trust for Culture, are hereby published as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Member Secretary, National Monuments Authority (Ministry of Culture), 24 TilakMarg, New Delhi or email at hbl_section@nma.gov.in within thirty days of publication of the notification;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft bye-laws before the expiry of the period, so specified, shall be considered by the National Monuments Authority.

Draft Heritage Bye-Laws
CHAPTER I
PRELIMINARY

1.0 Short title, extent and commencements: -

(i) These bye-laws may be called the National MonumentAuthority Heritage bye-laws 2021of Centrally Protected Monument**Anantha Basudeva Temple, Bhubaneswar, Odisha**.

(ii) They shall extend to the entire prohibited and regulated area of the monuments.

(iii) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.1 Definitions: -

(1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes-

(i) The remains of an ancient monument,
(ii) The site of an ancient monument,
(iii) Such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
(iv) The means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes-

(i) Such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
(ii) The means of access to, and convenient inspection of the area;

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

(d) "archaeological officer" means and officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;

(h) "floor area ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;

FAR = Total covered area of all floors divided by plot area;

(i) "Government" means The Government of India;

(j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto;

(k) "owner" includes-

(i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and

(ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee;

(l) "preservation" means maintaining the fabric of a place in its existing and retarding deterioration.

(m) "prohibited area" means any area specified or declared to be a prohibited area under section 20A;

(n) "protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;

(o) "protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;

(p) "regulated area" means any area specified or declared to be a regulated area under section 20B;

(q) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;

(r) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological sites and remains (AMASR) Act, 1958

2. Background of the Act:-The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The 300m area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred meters in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of DG, ASI and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.1 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws: The AMASR Act, 1958, Section 20E and Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, Rule 22, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. The National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, Rule 18 specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.2 Rights and Responsibilities of Applicant: The AMASR Act, Section 20C, 1958, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director-General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of Centrally Protected Monument- Anantha Basudeva Temple, Bhubaneswar

2.0 Location and Setting of the Monument:

- Anantha Basudeva Temple is located at 20^0 14' 26.10''N, 85^0 50' 08.88"E GPS Coordinates
- Anantha Basudeva Temple is located in Gouri Nagar, old town locality, on the banks of Bindu Sagar pond, at 7.8 km south from the Bhubaneswar city.
- It is well connected to the Bindu Sagar Road, which further connects to the Puri-Cuttack National Highway, NH 203.
- The nearest railway station is Bhubaneswar, which is 3.5km (via Puri road) to the North-East of the temple. The nearest airport is Biju Patnaik International airport at a distance of 3.1km, north-west to the temple.

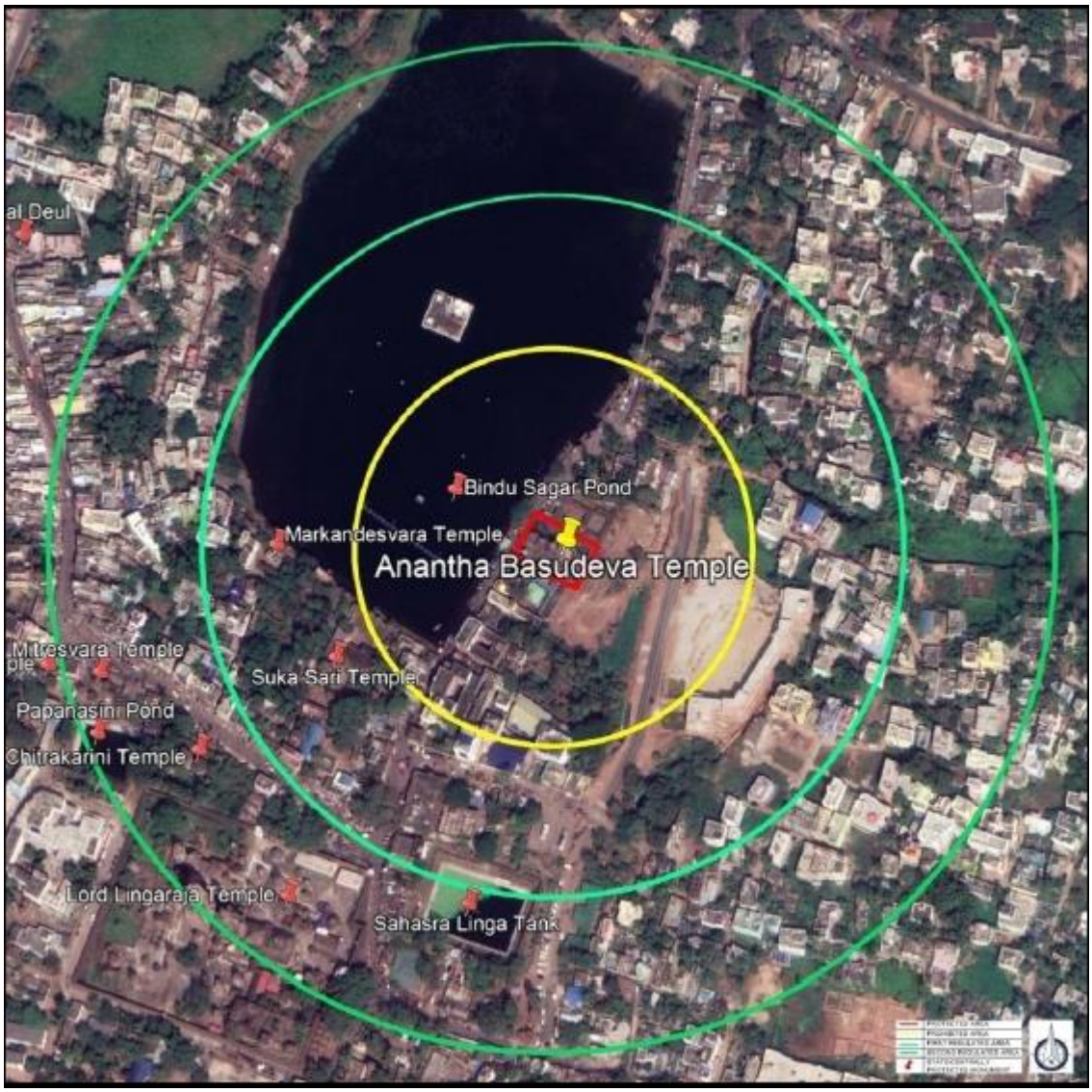

'Fig 1, Google map showing location of Centrally Protected Monument of -Anantha Basudeva Temple, Bhubaneswar

3.1 Protected boundary of the monument:

The protected boundaries of the Centrally Protected Monument-Anantha Basudeva Temple, Bhubaneswar may be seen at **Annexure-I**.

3.1.1 Notification Map/plan as per ASI records:

Gazette Notification of Anantha Basudeva Temple, Bhubaneswar may be seen at **Annexure II**.

3.2 History of themonument:

This west facing temple is the most important Vaishnava temple of Bhubaneswar which otherwise mostly has Saiva temples. The temple was built in 1278 CE (the Saka year 1200). It is the temple, where Anantha, the primordial snake serves as the couch and canopy of Vishnu. According to an inscription, it was built in honour of Shri Krishna and Balaram on the bank of Bindu Sagar by Chandrika Devi, daughter of the King Anangavimadeva-III of Eastern Ganga dynasty. According to the Ekamra Chandrika, Lord Vishnu or Purusottama established himself as a door keeper in the Ekamra Kshetra on the order of Lord Siva. Thus, tradition is, to worship Lord Vasudeva before bathing in the holy Bindu SagarPond.

3.3 Description of Monument (Architectural features, elements, materials, etc.):

The temple having *deul, jagamohana, nata-mandapa* and *bhoga-mandapa*, is almost a reduced copy of the Lingaraja temple. The height of the temple is 18.29m. The *anuraha-paga* of the temple is decorated with four super-imposed *anga-sikharas* of diminishing sizes. This is the only Vaishnavite temple in Bhubaneswar dedicated to Krishna, Balaram and Subhadra amidst the cluster of Saiva temples. The *deul* is built on a high plinth; is *sapta-ratha* on plan and remarkable for its embellishment and finished appearance in an impressive cadence. It is datable to 13th Century CE.

3.4 Current Status

3.4.1 Condition of Monument- condition assessment:

The monument is in a good state of preservation.

3.4.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

The monument is visited by about 350 visitors/devotees per day. On the occasion of Ananta brata in August, about 4,500 visitors/devotees visit this temple.

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.0 Existing Zoning if any in the local area development plans:

i. As per the, Comprehensive Development Plan for Bhubaneswar Development Area, 2030: In the proposed land use for Gautamnagar Mouza (Zone No. 18: Old Bhubaneswar) – the Anantha Basudeva temple is placed under "Special Heritage Zone", specified as – 'Protected monuments and precincts'.

ii. As per the Bhubaneswar Development Authority (Planning and Building standard) Regulation 2008, the heritage building/monument and religious place have been placed in 'public, semi-public use zone' (Part III, 25, Table- 2); while area of historical or archaeological importance are placed in 'Special Area Use Zone' (Part III, 25,Table-2).

4.1 Existing Guidelines of the local bodies:

It may be seen at **Annexure-III**.

CHAPTER V

Information as per First Schedule (Rule 21 (1))/ Total Station Survey of the Prohibited and Regulated area on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.0 Contour Plan of Anantha Basudeva temple, Bhubaneswar:

It may be seen at **Annexure-IV**.

5.1 Analysis of surveyed data:

5.1.1Prohibited Area and Regulated Area details:

- ProtectedArea(approx.):1563.749 sq m (0.386 acre)
- ProhibitedArea(approx.): 47262.459 sq m (11.678 acre)
- Regulatedarea(approx.):283025.689 sq m (69.937acre)

5.1.2 Description of built up area:

Prohibited Area:

- **North:** Rest houses, dharamshalas, temples on the banks of Bindu Sagar, concrete road, 240 volt power line, vegetation,

hume pipe culvert, footpath and transformer are present in the north direction.

- **South:** Rest houses, dharamshalas, Ananta Basudeva Ananda Bazaar mandapas and concrete road are present in this direction.
- **East:** Footpath, 11 KV power line, masonry drain and metalled road are present in this direction.
- **West:** The western side of the monument is fully covered by Bindu Sagar pond.

Regulated Area:

- **North:** Bindu Sagar pond is situated in north-west direction. A concrete road runs with masonry drain, 240 volt power line, a nala flowing from north to east direction, few temples on the banks of Bindu Sagar, rest houses, dharamshalas and modern constructionsare present in this direction.
- **South:** State/Centrally Protected Monuments like-Sahashra Linga tank, Lingaraj temple, Chitrakarini temple, rest houses, dharamshalas, residential structures (G, G+1 and a few G+2), 11 KV power line,telephone tower, market complex, metalled and concrete roads and many small localtemples are present in this direction.
- **East:** Lingaraj market complex, modern constructions mostly residential structures (G, G+1 and a few G+2), 11kv to 240kv power line, cart track road and a nala flowing from north-east to eastern direction are present in this direction.
- **West:** Bindu Sagar pond with Brahma temple, few other temples on the banks of Bindu Sagar pond, few centrally/state protected temples, masonry drain, metalled road, bore well, toilets, modern construction mostly residential structures (G, G+1 and a few G+2).

5.1.3 Description of built up area:

Prohibited Area

- **North:** Bindu Sagarpond is present in this direction.
- **South:** Mostly, low lying area which is swampy in nature with depression in the south-east direction of the monument.
- **East:** The area in this direction is swampy in nature with depression.
- **West:** Bindu Sagarpond is present in this direction.

Regulated Area

- **North:**Bindu Sagar pond is present in north-west direction. A

few open patches with vegetation amidst residentialbuildings are present in north.

- **South:** A state/centrally protected heritage lake, few open patches with vegetation amidst residential buildings are present in this direction.
- **East:** Few parks, ponds, open patches with vegetation amidst residential buildings are present in this direction.
- **West:** Bindu Sagar pond,low lying and swampy area,few open patches with vegetation amidst residential buildings are present in this direction.

5.1.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc.:

In both Prohibited and Regulated limits of the monument, the metalled road, cart track, foot path are present. Apart from this, many road intersections such as Bindu Sagar road, Koti-Tirtha road are also present. Moreover, pathways are present inside the protected boundary of the monument.

5.1.5 Heights of building (Zone wise):

- **North:** The maximum height is7m
- **South:** The maximum height is 10m
- **East:** The maximum height is 7m
- **West& North-West:** The maximum height is 7m.

5.1.6 State protected monument and listed heritage building by local authorities if available within prohibited/regulated area:

- Bindu Sagar Pond (heritage lakes and water bodies under BMC limits for conservation and the re-development of the perimeter area of thelake)
- Mitresvaratemple
- Makaresvaratemple

5.1.7 Public amenities :

Drinking water facility and pathway are available at the monument. No toilet block is available inside the monument forvisitors.

5.1.8 Access to monument :

The monument is accessible by a concrete road (Bindu Sagar road) and it

can be reached upto the main gate by the road.

5.1.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage,solid Waste management, parkingetc.) :

No infrastructure facilities are present here except water supply.

5.1.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies:

- Bhubaneswar DevelopmentAuthority (Planning andbuilding Standards), Regulations-2008
- Town Planning &Improvement Trust Act,1956
- Odisha Development Authority Act,1982.

Please refer **Annexure-III for details.**

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monument

6

The temple having *deul, jagamohana*, *nata-mandapa* and *bhoga-mandapa,* is almost a reduced copy of the Lingaraja temple and was built by Chandrika Devi, daughter of Anangabhima deva III. The height of the temple is 18.29meter. The *anuraha-paga* of the temple is decorated with four super-imposed *anga- sikharas* of diminishing sizes. This is the only Vaishnavite temple in Bhubaneswar dedicated to Krishna, Balaram and Subhadra amidst the cluster of Saiva temples. The *deul* built on a high plinth, is *sapta-ratha* on plan and is remarkable for its embellishment and finished appearance in an impressive cadence. It is datable tothe 13th Century CE.

6.1 Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, Population Pressure,etc.) :

The monument is surrounded by numbers of modern constructions, concrete roads, telephone towers, etc. around the monument.

6.2 Visibility from the protected monument or area and visibility from regulated area :

The monument is clearly visible from the northern and eastern sides of the prohibited area and partly visible from western and south-western side of the Regulated Area. Images of the monument and its surrounding areas may be seen at **Annexure-VI**.

6.3 Land- use to be identified :

The Anantha Basudeva temple is placed under "Special Heritage Zone", specified as – 'Protected monuments and precincts'. It is presently a living monument which receives a large number of visitors/pilgrims.

The area near the temple precinct is mostly used for residential and commercial activities. Many public and religious structures (state/centrally protected) are also present in close vicinity of the monument.

6.4 Archaeological heritage remains other than protected monument :

- Bindu Sagar Pond (heritage lakes and water bodies under BMC limits for conservation and the re-development of the perimeter area of the lake).
- Mitresvaratemple.
- Makaresvaratemple.

6.5 Cultural landscapes :

There is no cultural landscape associated with the monument in the present day.

6.6 Significant natural landscapes that forms part of cultural landscape and also helps in protecting monument from environmental pollution:

The heritage lake, Bindu Sagar, in the close vicinity of the monument is under the BMC limits and this natural lake forms a natural landscape around the monument.

6.7 Usage of open space and constructions:

Most public structures are located in the Regulated Area.

6.8 Traditional, historical and cultural activities :

The Anantha Basudeva temple is a living monument which receives a large number of pilgrims each day. Bhog is prepared in huge quantities each day

and is offered to lord Krishna, and the same is then served in the form of Prasad to the visitors.

6.9 Skyline as visible from the monument and from regulated areas :

It is clearly visible from the northern, western and the eastern sides of the Prohibited Area and partly visible from western and south-western side of the Regulated Area.

6.10 Traditional architecture:

No traditional architecture is prevalent around the monument, and all new constructions have come-up in the adjacent areas.

6.11 Developmental plan as available by the local authorities:

The City Development plan may be seen at **Annexure V**.

6.12 Building related parameters:

(a) Height of the construction on the site (including rooftop structures like mumty, parapet, etc): The height of all buildings in the Regulated Area of the monument will be restricted to 07m.

(b) Floor area: FAR will be as per local building bye-laws.

(c) Usage: As per local building bye-laws with no change in land-use.

(d) Façade design:

- The façade design should match the ambience of the monument.
- French doors and large glass façades along the front street or along staircase shafts will not be permitted.

(e) Roof design:

- Sloping roof design may be followed.
- Structures, even using using temporary materials such as aluminium, fibre glass, polycarbonate or similar materials will not be permitted on the roof of the building.
- All services such as large air conditioning units, water tanks or large generator sets placed on the roof to be screened off using screen walls (brick/cements sheets etc). All of these services must be included in the maximum permissible height.

(f) Building material: -

- Consistency in materials and color along all street façades of the monument.
- Modern materials such as aluminum cladding, glass bricks, and any other synthetic tiles or materials will not be permitted for exterior finishes.
- Traditional materials such as brick and stone should be used.

(g) Colour: - The exterior colour must be of a neutral tone in harmony with the monuments.

6.13 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities such as illumination, toilets, cafeteria, drinking water, souvenir shop, ramp, wi-fi, sewage, drainage and braille should be available at site.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

a) Setbacks

- The front building edge shall strictly follow the existing street line. The minimum open space requirements need to be achieved with setbacks or internal courtyards and terraces.

b) Projections

- No steps and plinths shall be permitted into the right of way at ground level beyond the 'obstruction free' path of the street. The streets shall be provided with the 'obstruction free' path dimensions measuring from the present building edge line.

c) Signages

- LED or digital signs,plastic fiber glass or any other highly reflective synthetic material may not be used for signage in the heritage area. Banners may not be permitted; but for special events/fair etc. it may not be put up for more than three days. No advertisements in the form of hoardings, bills within the heritage zone will be permitted.
- Signages should be placed in such a way that they do not block the view of any heritage structure or monument and are oriented towards a pedestrian.

- Hawkers and vendors may not be allowed on the periphery of the monument.

7.2 Other recommendations:

- Extensive public awareness programme may be conducted.
- Provisions for differently able persons shall be provided as per prescribed standards.
- The area should be declared as Plastic and Polythene free zone.
- National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts must be adhered to and details can be referred to athttps://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक - I
Annexure-I

स्मारक की संरक्षित चारदीवारी
Protected Boundary of the Monument

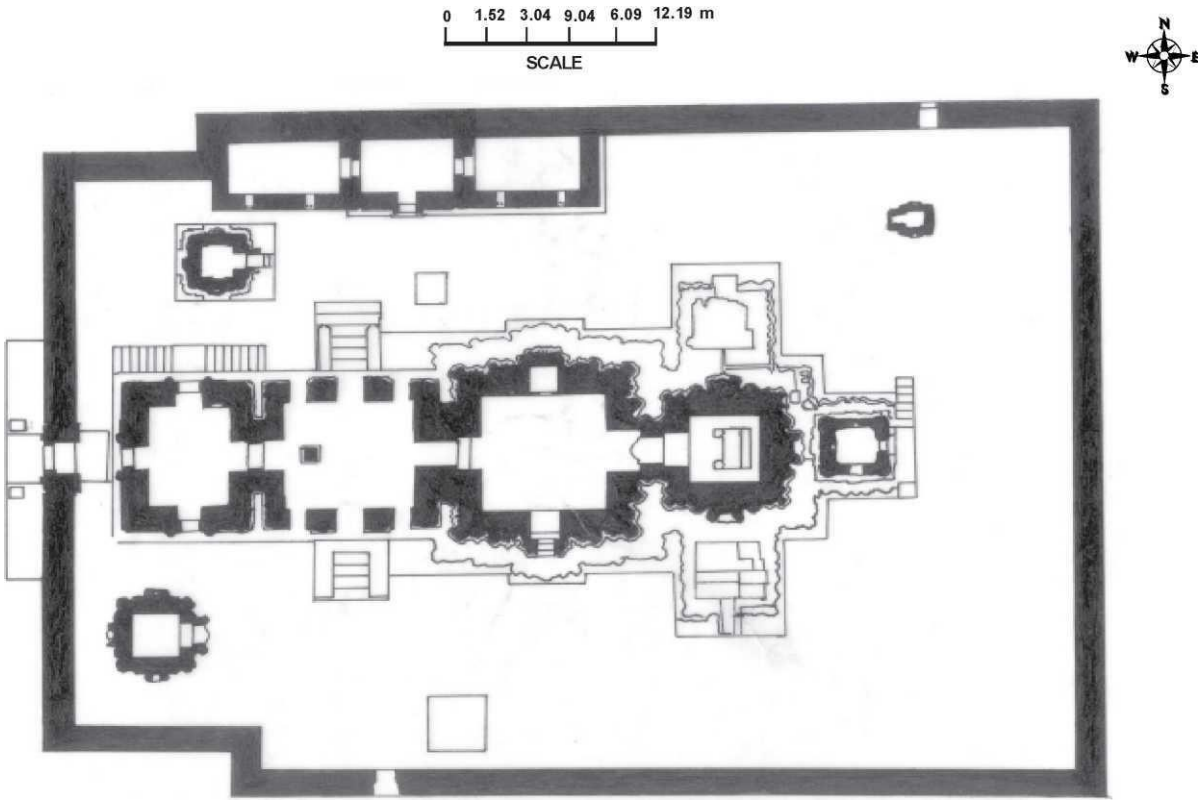

अनुलग्नक- II
Annexure-II

स्मारक की अधिसूचना
Notification of the Monument

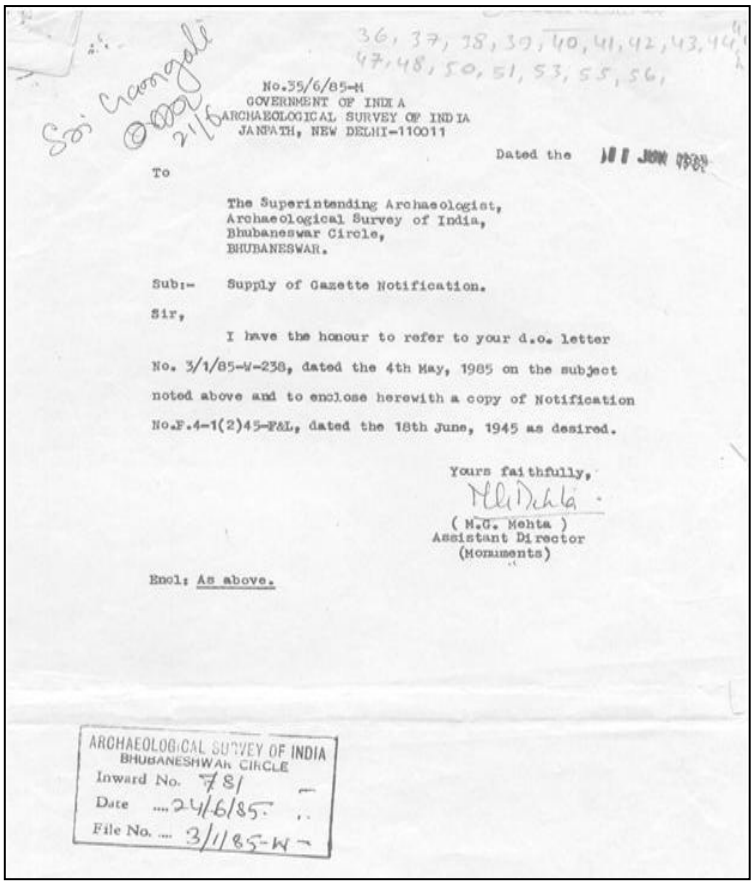

No.35/6/85-M
GOVERNMENT OF INDIA
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA
JANPATH, NEW DELHI-110011

Dated the 18 JUN 1985

To

The Superintending Archaeologist,
Archaeological Survey of India,
Bhubaneswar Circle,
BHUBANESWAR.

Sub:- Supply of Gazette Notification.

Sir,

I have the honour to refer to your d.o. letter No. 3/1/85-W-238, dated the 4th May, 1985 on the subject noted above and to enclose herewith a copy of Notification No.F.4-1(2)45-P&L, dated the 18th June, 1945 as desired.

Yours faithfully,

(M.G. Mehta)
Assistant Director
(Monuments)

Encl: As above.

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA
BHUBANESHWAR CIRCLE
Inward No. 781
Date 24/6/85
File No. 3/1/85-W

मूल अधिसूचना

Original Notification

No. 35 /6/85 – M

Government of India Archaeological Survey of India Janpath, New Delhi-110011

Dated: 18th June, 1945 To

The Superintending Archaeologist,

Archaeological Survey of India, Bhubaneswar Circle, BHUBANESWAR.

Sub: - Supply of Gazette Notification.

Sir,

I have the honor to refer to your d.o. letter No. 3/1/85-w-238, dated the 4th May, 1985on the subject noted above and to enclose here with a copy of Notification No.F.4-1(2)45- F&L, dated the 18th June, 1945 as desired.

Yours Faithfully

(M.G. Mehta)

Assistant Director

(Monuments)

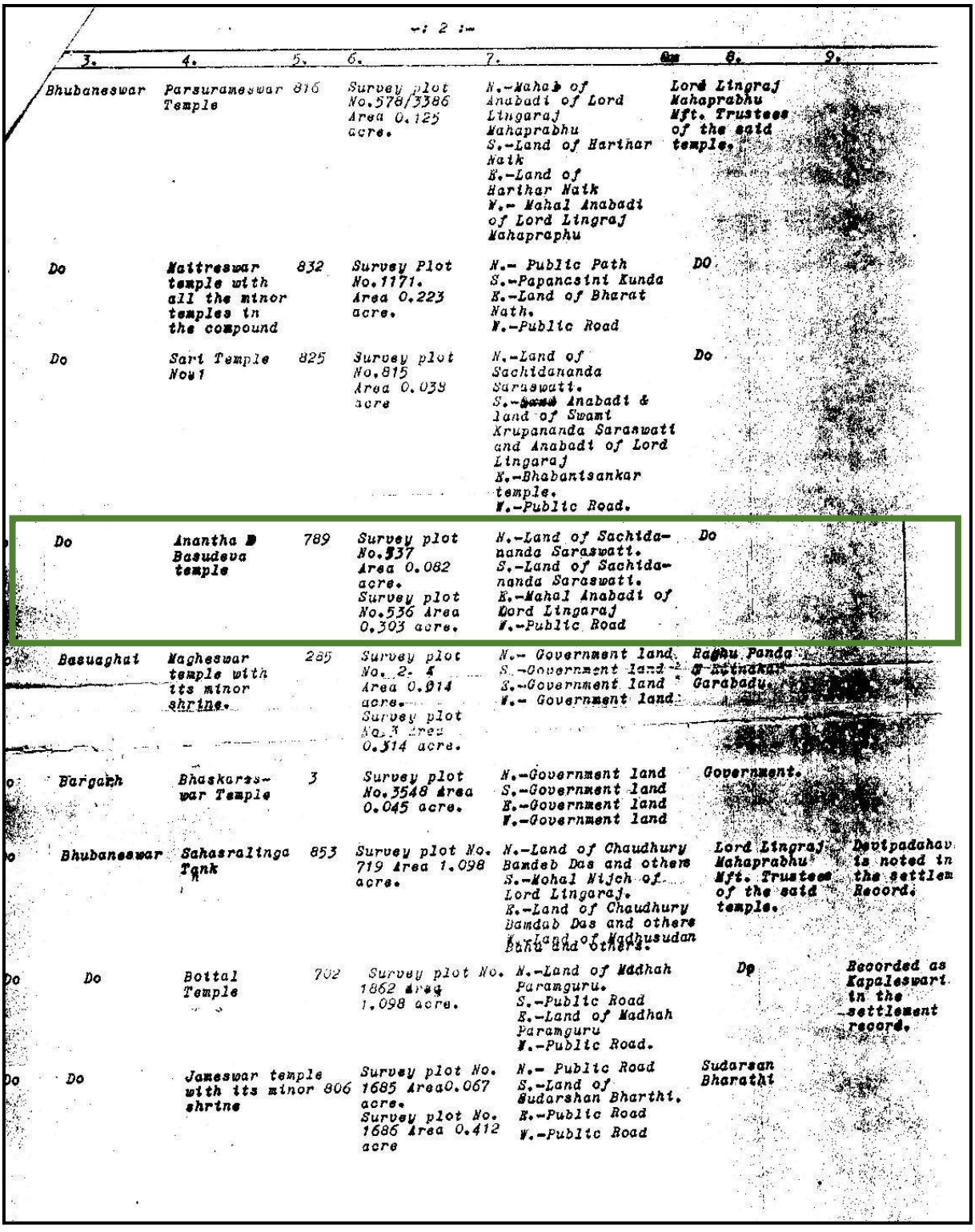

	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Bhubaneswar	Parsurameswar Temple	816	Survey plot No.578/3386 Area 0.125 acre.	N.-Mahal of Anabadi of Lord Lingaraj Mahaprabhu S.-Land of Harihar Naik E.-Land of Harihar Naik W.- Mahal Anabadi of Lord Lingraj Mahaprabhu	Lord Lingraj Mahaprabhu Mft. Trustees of the said temple.	
	Do	Maitreswar temple with all the minor temples in the compound	832	Survey Plot No.1171. Area 0.223 acre.	N.- Public Path S.-Papancsini Kunda E.-Land of Bharat Nath. W.-Public Road	DO	
	Do	Sari Temple No.1	825	Survey plot No.815 Area 0.038 acre	N.-Land of Sachidananda Saraswati. S.-Land Anabadi & land of Swami Krupananda Saraswati and Anabadi of Lord Lingaraj E.-Bhabanisankar temple. W.-Public Road.	Do	
	Do	Anantha Basudeva temple	789	Survey plot No.537 Area 0.082 acre. Survey plot No.536 Area 0.303 acre.	N.-Land of Sachida-nanda Saraswati. S.-Land of Sachida-nanda Saraswati. E.-Mahal Anabadi of Lord Lingaraj W.-Public Road	Do	
o	Basuaghai	Magheswar temple with its minor shrine.	285	Survey plot No. 2. Area 0.014 acre. Survey plot No.3 Area 0.314 acre.	N.- Government land S.-Government land E.-Government land W.- Government land	Raghu Panda & Ratnakar Garabadu.	
o	Bargarh	Bhaskareswar Temple	3	Survey plot No.3548 Area 0.045 acre.	N.-Government land S.-Government land E.-Government land W.-Government land	Government.	
o	Bhubaneswar	Sahasralinga Tank	853	Survey plot No. 719 Area 1.098 acre.	N.-Land of Chaudhury Bamdeb Das and others S.-Mohal Nijch of Lord Lingaraj. E.-Land of Chaudhury Bamdab Das and others W.-Land of Madhusudan Sahu and others.	Lord Lingraj Mahaprabhu Mft. Trustees of the said temple.	Devipadahav is noted in the settlem Record.
Do	Do	Bottal Temple	702	Survey plot No. 1862 Area 1.098 acre.	N.-Land of Madhah Paramguru. S.-Public Road E.-Land of Madhah Paramguru W.-Public Road.	Do	Recorded as Kapaleswari in the settlement record.
Do	Do	Jameswar temple with its minor shrine	806	Survey plot No. 1685 Area0.067 acre. Survey plot No. 1686 Area 0.412 acre	N.- Public Road S.-Land of Sudarshan Bharthi. E.-Public Road W.-Public Road	Sudarsan Bharathi	

Government of India
Department of Education,
Health and Lands
Archaeology

Simla, the 18th June, 1945

No.F.4-1(2)/45- F & L.- In exercise of the powers conferred by sub-section(1)of section 3 of the Ancient Monuments Preservation act 1904 (VII of 1904), the Central Government is pleased to declare the ancient monuments described in the annexed schedule to be protected monuments within the meaning of the said Act.

SCHEDULE

District	Locality	Name of monument	Khata latest No.	Survey Plot No. and area	Boundaries	Ownership	Remarks
Puri	Bhubaneswar	Anantha Basudev a temple	789	**Survey plot No.**537 **Area:** 0.082 acre. **Survey plot No.** 536 **Area:**0.303a cre.	**N-**Land of Sachidananda Saraswati. **S-** Land of Sachidananda Saraswati **E-**MahalAnabadi of Lord Lingaraj **W-**Public road.	Lord LingarajMahapra bhuMft.Trustees of the said temple.	
Puri	Basuaghat	Magheswar temple with its minor shrine	285	**Survey plot No.**2.5 **Area:** 0.014 acre. **Survey plot No**.3 **Area:** 0.314 acre.	**N-** Government land **S-** Government land **E-** Government land **W-**Government land	Raghu Panda RatnakarGaraba du.	
Puri	Bargarh	Bhaskareswa r Temple	3	**Survey plot No.**3548 **Area:** 0.045 acre.	**N-** Government land **S-** Government land **E-** Government land **W-**Government land	Government	

अनुलग्नक - III

स्थानीय निकाय दिशानिर्देश

स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश/प्रास्थिति

"ओडिशा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982" में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए विस्तृत विकास योजना तैयार की जाएगी। इसी अधिनियम के अध्याय-VI के अनुसार, ऐतिहासिक या राष्ट्रीय हित या प्राकृतिक सौंदर्य की वस्तुओं के लिए तथा धार्मिक प्रयोजनों के लिए वास्तविक रूप से उपयोग किए जाने वाले भवनों के परिरक्षण के लिए प्रावधान किया गया था (धारा 22 त)। इसी अधिनियम में, विकास क्षेत्र के वातावरण में शहरी डिजाइनिंग की पुनर्बहाली एवं संरक्षण के कार्यों की देखरेख करने हेतु और पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थलों और अति रमणीय स्थलों के जीर्णोद्धार तथा परिरक्षण हेतु "कला आयोग" गठित करने का प्रावधान भी किया गया था (अध्याय **X** की धारा 88)।

भुवनेश्वर के लिए प्रस्तावित शहर विकास योजना में संरक्षण के लिए बीएमसी की सीमाओं के अंतर्गत धरोहर वाली झीलों और जलाशयों तथा झील के परिधि क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है (धारा 5.5.1 और धारा 12.4)। मंदिर के निकटवर्ती क्षेत्र में मौजूद बिन्दु सागर ऐसी ही एक धरोहर वाली झील है।

1. नए निर्माण, भवन के क्षेत्रफल में घटाव (सेटबैक) के लिए विनियमित क्षेत्र के साथ अनुमेय ग्राउंड कवरेज, एफएआर /एफएसआई और ऊंचाई

निर्माण के सामान्य नियम सभी विकास स्कीमों के लिए 'भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (योजना एवं भवन मानदंड) विनियम-2008' के अनुसार लागू होंगे।

'बीडीए (पी एंड बीएस) विनियम 2008 और उक्त विनियमन (संशोधित 2013)' के विनियमन 33 (1) के अनुसार, निम्नलिखित प्रावधान आवासीय, वाणिज्यिक, कॉर्पोरेट, आईटी/आईटीईएस भवनों के लिए **तल क्षेत्र अनुपात** के लिए निम्नानुसार लागू किए जाते हैं।

'तालिका-1': सड़क की चौड़ाई के अनुसार एफएआर

सड़क की चौड़ाई मीटर में	वाणिज्यिक/आवासीय भवन के लिए एफएआर	आईटी/आईटीईएस/ कॉर्पोरेट भवनों के लिए एफएआर

सड़क की चौड़ाई मीटर में	वाणिज्यिक/आवासीय भवन के लिए एफएआर	आईटी/आईटीईएस/ कॉर्पोरेट भवनों के लिए एफएआर
6 तक	1.00	-
6 या उससे अधिक और 9 से कम	1.50	-
9 या उससे अधिक और 12 से कम	1.75	-
12 या उससे अधिक और 15 से कम	2.00	2.00
15 या उससे अधिक और 18 से कम	2.25	2.25
18 या उससे अधिक और 30 से कम	2.50	2.50
30 और उससे अधिक	2.75	2.75

- बीडीए (पी एंड बीएस) विनियम-2008 के विनियमन के भाग VII (58) के अनुसार, **बहु-मंजिला भवन के निर्माण पर प्रतिबंध** के लिए निम्नलिखित प्रावधान लागू किए गए हैं।

  1. भुवनेश्वर, कपिलेश्वर, राजरानी और धौली, मुकुंद प्रसाद और गड़ाखुर्द जैसे गांवों में बहु-मंजिला इमारत के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहु मंजिला भवन निर्माण के निषेध के लिए प्राधिकरण समय-समय पर कोई अन्य क्षेत्र शामिल कर सकता है।

  2. प्राधिकरण सरकार से उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपलब्ध बुनियादी ढांचे और योजना की जरूरतों के उद्देश्यपरक मूल्यांकन के आधार पर किसी अन्य क्षेत्र में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण को प्रतिबंधित कर सकता है।

  3. इन विनियमों को शुरू करने से पहले, जहां सशर्त रूप से अनुमति दी गई है, और ऐसे मामलों को इन विनियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत बिना किसी बड़े बदलाव के, या निर्माण को हटाए बिना निपटा जाएगा बशर्ते कि जहां विरासत क्षेत्र की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, यह छूट लागू नहीं होगी।

  4. किसी भी बहु-मंजिला इमारत के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी:

     क. 18 मीटर से कम चौड़ाई वाली संपर्क सड़क (एप्रोच रोड) के साथ,

ख. 2000 वर्गमीटर से कम आकार के भूखंड पर।

- **सेटबैक और ओपन स्पेस** के लिए, विनियमन के भाग IV (31 और 32) के अनुसार, सेटबैक और ओपन स्पेस नीचे वर्णित हैं:

तालिका 2 : भूखंड (प्लॉट) का आकार, अनुमेय सेटबैक और भवनों की ऊँचाई

भूखंड का आकार (वर्ग मी. में)	**भवन की अधिकतम अनुमत ऊंचाई (मी. में)**	**सीमावर्ती सड़क की चौड़ाई के अनुसार सामने का न्यूनतम घटाव (सेटबैक) (मी. में)**					**दूसरी तरफ न्यूनतम घटाव (सेटबैक) (मीटर में)**	
		9 मी. से कम	**9 मी. और 12 मी. से कम**	**12 मी. और 18 मी. से कम**	**18 मी. और 30 मी. से कम**	**30 मी. से अधिक**	**पीछे का भाग**	**अन्य भाग**
[1]	**[2]**	**[3(क)]**	**[3(ख)]**	**[3(ग)]**	**[3(घ)]**	**[3(ङ)]**	**[4]**	**[5]**
100 से कम	7	1.5	2.0	2.5	3.0	4.5	1.0	-
100 और 200 तक	10						1.5	1.5
200 से अधिक और 300 तक	10						2.0	1.5
300 से अधिक और 400 तक	12	1.5	2.0	3.0	3.0	4.5	2.5	1.5
400 से अधिक और 500 तक	12						3	2
500 से अधिक		1.5	2.0	3.0		4.5		

और 750 तक	15				4.0		3	3
750 से अधिक	15						4	4

- बीडीए (पी एंड बीएस) विनियम 2008 के विनियम 43 (3) के अनुसार **पार्किंग सुविधा के लिए विनिर्देश** को नीचे दिए गए अनुसार निर्दिष्ट किया गया है;

तालिका-3 : स्थान धारकों (आक्यूपेंसिज) की विभिन्न श्रेणियों के लिए ऑफ स्ट्रीट (स्ट्रीट से बाहर) पार्किंग स्थल

क्र. सं.	भवन/कार्यकलाप की श्रेणी	कुल निर्मित क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में प्रदान किया जाने वाला पार्किंग क्षेत्र (वर्गमीटर)
(1)	(2)	(3)
1.	शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स/सिनेप्लेक्स, रिटेल शॉपिंग सेंटर, आईटी/आईटीईएस कॉम्प्लेक्स और होटल सहित शॉपिंग मॉल	60
2.	रेस्तरां, लॉज, अन्य व्यावसायिक भवन, विधानसभा भवन, कार्यालय और गगनचुंबी भवन	40
3.	आवासीय अपार्टमेंट भवन, नर्सिंग होम, अस्पताल, संस्थागत और औद्योगिक भवन	30

2. स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध धरोहर उप नियम/विनियम/दिशानिर्देश, यदि कोई हो।

भुवनेश्वर शहर के एएसआई स्मारकों/धरोहर के लिए कोई विशिष्ट उप-नियम तैयार नहीं किए गए हैं।

- बीडीए (पी एंड बीएस) विनियम-2008 के विनियम के भाग **II** (17) के अनुसार**,** एएसआई और राज्य सरकार के धरोहर भवनों और स्मारकों के कार्यों की देखरेख करने हेतु **"**कला आयोग**"** गठित करने का प्रावधान किया गया था।
- बीडीए (पी एंड बीएस) विनियम-2008 के विनियम के भाग **II** (18) के अनुसार**,** संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण के लिए निम्नलिखित एएसआई प्रावधान लागू किए गए हैं।
- इस विनियम के अनुसार**,** यह उल्लेख किया गया है कि किसी भवन का निर्माण या पुन:निर्माण एक घोषित संरक्षित स्मारक की बाहरी चारदीवारी से 100 मीटर या ऐसी किसी अन्य अधिक दूरी**,** जैसे समय-समय पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और ओडिशा राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा तय की जाए**,** के घेरे के अंदर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी **[**भाग **II** (18-1)**]** के अनुसार।

- इसी विनियम में ऐसे स्मारकों की 300 मीटर दूरी के घेरे के अंदर तथा 100 मीटर के घेरे से आगे, प्रथम तल से अधिक (7 मीटर से ऊपर) किसी निर्माण को करने की अनुमति नहीं दी जाएगी **[**भाग **II** (18-2)(**i**)**]** के अनुसार।
- ऊपर दिए उप-विनियम (1) और (2) में शामिल किसी कथन के बावजूद, एएसआई/राज्य पुरातत्व विभाग, जैसा भी मामला हो, से अनापत्ति (क्लियरेंस) प्राप्त कर लेने के बाद ही, किसी निर्माण/पुन:निर्माण/बदलाव/जुड़ाव को करने की अनुमति दी जाएगी।

3. खुले स्थान

- विनियम के भाग **III** (31) के अनुसार, **सांस्थानिक भवनों**, **शिक्षण भवनों और खतरनाक उद्योगों के भवनों के लिए**, भवन के इर्द-गिर्द खुले स्थानों के क्षेत्रफल को 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
- **सभा भवन -** सामने की ओर का खुला स्थान 12 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और अन्य भवन के लिए 6 मीटर से कम क्षेत्रफल का नहीं होना चाहिए।
- **व्यावसायिक एवं भंडारण भवन -** 500 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक के प्लॉटों के मामले में, भवन के चारों तरफ खुला स्थान 4.5 मीटर से कम न होने का उल्लेख किया गया है।

क्र. सं.	**भवन की ऊंचाई मीटर में**	**सभी चारों तरफ छोड़े जाने वाले बाहरी खुले स्थान मीटर में (प्रत्येक प्लॉट के सामने, पीछे और साइडों में)**
1.	15 और उससे अधिक 18 तक	6
2.	18 से अधिक और 21 तक	7
3.	21 से अधिक और 24 तक	8
4.	24 से अधिक और 27 तक	9

5.	27 से अधिक और 30 तक	10
6.	30 से अधिक और 35 तक	11
7.	35 से अधिक और 40 तक	12
8.	40 से अधिक और 45 तक	13
9.	45 से अधिक और 50 तक	14
10.	55 से अधिक ऊंचाई	15

- **औद्योगिक भवन -** औद्योगिक भवन के मामले में, 15 मीटर की ऊंचाई तक, खुला स्थान 4.5 मीटर से कम न हो, ऊंचाई में 1 मीटर के अंश की प्रत्येक बढ़त के साथ 0.25 मीटर की चौड़ाई में वृद्धि रखने का उल्लेख किया गया है।

- **आईटी/आईटीईएस और अन्य कार्पोरेट भवन -** 750 वर्गमीटर तक की माप के प्लॉट के मामले में, भवन के चारों ओर निर्माण संबंधी न्यूनतम कंपन (सैटबैक) का प्रभाव 3 मीटर की दूरी से कम अंतर पर न रहने का उल्लेख किया गया है। 750 वर्गमीटर से अधिक माप के प्लॉट के मामले में, भवनों के आस-पास निर्माण संबंधी कंपन का प्रभाव न्यूनतम 4.5 मीटर की दूरी से कम अंतर पर न पड़ने देने का उल्लेख किया गया है।

तालिका-4 : भवन के चारों ओर बाहरी खुले स्थानों को रखने का प्रावधान

4. प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के साथ आवाजाही (मोबिलिटी) - सड़क तल निर्धारण, पैदल पथ, गैर-मोटर चालित परिवहन आदि

अनंत वासुदेव मंदिर के चारों तरफ का इलाका पक्की सड़कों एवं कार्ट ट्रैक सड़कों से कवर किया गया है। चूंकि यह एक शहरी क्षेत्र है, इसलिए परिवहन का मुख्य साधन लोगों के निजी वाहन जैसे मोटरसाइकिलें, स्कूटर, साइकिल, कारें, जीप, ऑटोरिक्शा, बसें आदि हैं। संरक्षित क्षेत्र में केवल पैदल चलने वाले लोगों को ही चलने की अनुमति है।

तथापि, भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने विनियम 2008 के भाग II (29) के अनुसार कुछ नियम भी तैयार किए हैं जो निम्नानुसार हैं :

- हर भवन/प्लॉट में भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) 2005 के खंड 4, भाग-3 में यथाविनिर्दिष्ट चौड़ाई की समान विधिवत बनाई गई गलियों/सड़कों जैसे पहुंच के सार्वजनिक/निजी आवाजाही के साधनों का प्रबंध किया जाना होगा।
- किसी भी परिस्थिति में प्लॉटों के विकास को तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि इसके पास इस तक पहुंचने के सार्वजनिक/निजी गलियारों की चौड़ाई 6 मीटर से कम न हो।
- सांस्थानिक, प्रशासनिक, सभा, औद्योगिक और अन्य गैर आवासीय तथा गैर-व्यावसायिक कार्यकलापों के मामले में सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर होगी।

5. शहरी सड़क डिजाइन (स्ट्रीटस्केप्स), अग्रभाग (फसाडद्स) और नए निर्माण

उपर्युक्त अधिनियम और विनियम में अग्रभागों के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि, स्ट्रीटस्केप्स और नए निर्माण के लिए उपर्युक्त पैराग्राफों में ब्यौरे का उल्लेख किया गया है।

ANNEXURE -III

Local Bodies Guidelines

In the "Odisha Development Authority Act 1982'' there is a clear mentioned that Comprehensive Development Plan shall be prepared for each zone. As per Chapter VI of the same Act, the provision was made for the preservation of objects of historical or national interest or natural beauty and of buildings actually used for religious purposes (Section 22 P). In the same Act, provision was also made to constitute an "Art Commission" to look after the affairs of restoration and conservation of urban designing of the environment in the development area and restoration and conservation of archaeological and historical sites and sites of high scenic beauty (Section 88 of Chapter X).

In the proposed city development plan report for Bhubaneswar- several priority areas has been identified by the local authorities for heritage lakes and water bodies under BMC limits for conservation and the re-development of the perimeter area of the lake (Section 5.5.1. and Section12.4). The Bindu Sagar, lying in close vicinity to the temple, is one such heritage lake.

1. Permissible Ground Coverage, FAR/FSI and Heights withthe Regulated area for new construction, SetBacks

The General rules of construction shall be applicable for all development schemes as per 'Bhubaneswar Development Authority (Planning & Building Standards) Regulation - 2008'.

As per Regulation 33(1) of the 'BDA (P&BS) Regulations 2008 and same regulation (amended 2013)', the following provisions are made applicable for **Floor Area Ratio** for residential, commercial, corporate, IT/ITES buildings as below:

Table 1: FAR as per road width

Road width in meter	FAR for commercial/ residential buildings	FAR for IT/ITES/ Corporate buildings
Upto 6	1.00	-
6 or more & less than 9	1.50	-

9 or more & less than 12	1.75	-
12 or more & less than 15	2.00	2.00
15 or more & less than 18	2.25	2.25
18 or more & less than 30	2.50	2.50
30 & above	2.75	2.75

As per the part VII (58) of the Regulation of the BDA (P&BS) Regulations - 2008, the following provisions are made applicable for **Restriction on Construction of Multi- storied buildings**.

1. Construction of multi-storied building shall not be permitted in villages namely Bhubaneswar, Kapileswar, Rajarani and Dhauli, Mukunda Prasad & Gadakhurda. The Authority may include any other areas for prohibition of multi storied building from time totime.

2. The Authority may restrict construction of multi-storeyed buildings in any other area on the basis of objective assessment of the available infrastructure and planning needs after obtaining due approval of theGovernment.

3. Before commencement of these regulations, where permission has been granted conditionally, and such cases shall be dealt with under corresponding provisions of these Regulations without any major change, or removal of construction, subject to the condition where violation of Heritage Zone conditions has occurred, this relaxation shall notapply.
4. No multi-storied building shall be allowed to beconstructed:

    a. With approach road less than 18 mwidth,
    b. On plot size less than 2000 sqm.

For **Setbacks and Open Spaces**, as per part IV (31 and 32) of the Regulation, the Setbacks and Open spaces are described as below:

Table 2: Plot size, permissible setbacks and height of buildings

Plot size (In sq. m.)	Maximum Height of building permissible (in m.)	Minimum front setback (in m.) As per the abutting road width					Minimum Setbacks on other sides (In m.)	
		Less than 9 m.	9 m. and below 12 m.	12m. less than 18m.	18 m.& less than 30 m.	Above 30 m.	Rear side	Other Side

[1]	[2]	[3(a)]	[3(b)]	[3(c)]	[3(d)]	[3(e)]	[4]	[5]
Less than 100	7		2.0	2.5	3.0	4.5	1.0	-
100& up to 200	10	1.5					1.5	1.5
Above 200& up to 300	10						2.0	1.5
Above 300 & Up to 400	12	1.5	2.0	3.0	3.0	4.5	2.5	1.5
Above 400& Up to 500	12						3	2
Above 500& Up to 750	15	1.5	2.0	3.0	4.0	4.5	3	3
Above 750	15						4	4

Specification for Parking Facility as per Regulation 43(3) of the BDA (P & BS) Regulation 2008, the specification for parking has been specified as below:

Table 3: Off street parking space for different category of occupancies

Sl. No.	Category of building/activity	Parking area to be provided as percentage of total built up area (sq m.)
(1)	(2)	(3)
1.	Shopping malls, shopping malls with Multiplexes/ Cineplex's, Retail shopping centre, IT/ITES complexes and hotel".	60
2.	Restaurants, Lodges, Other commercial buildings, Assembly buildings, Offices and High rise buildings	40
3.	Residential apartment buildings, Nursing Home, Hospital, Institutional and Industrial buildings	30

2. **Heritage byelaws/ regulations/ guidelines if any available with local bodies.**

No specific bye laws are prepared for the ASI monuments/heritage of the Bhubaneswar city.

- As per the Part II (17) of Regulation of the BDA (P&BS)Regulations-2008, a provision was made to constitute an "Art Commission" to lookaftertheaffairsoftheheritagebuildingandthemonumentsofASI and State government.

- As per the Part II (18) of Regulation of the BDA (P&BS)Regulations- 2008, the following ASI provisions are made applicable for the construction near ProtectedMonuments:

- As per Part II, section 18(1) - No construction or re- construction of any building, within a radius of 100 meters, or such other higher distance from any archaeological site, as may be decided by the Archaeological Survey of India and Odisha State Archaeology department from time to time, from the outer boundary of a declared protected monument shall bepermitted.

- As per Part II, section 18(2)(i) - No construction above 1st floor and above 7 m shall be allowed beyond a radius of 100 meters and within a radius of 300 meters of such monuments.

- Notwithstanding anything contained in the sub-regulation (1) & (2) above, construction/re-construction/addition/alteration shall be allowed on production of clearance from ASI/State Archaeology Department as the case maybe.

3. Open spaces.

As per Part III (31) of the regulation, for the:

- **Institutional buildings, Educational buildings and Hazardous occupancies -** the open spaces around the building should not be less than 6m.
- **Assembly building -** the open spaces in front should not less than 12 meter and for other building it should not be less than 6m.
- **Commercial & Storage buildings -** In case of plots with more than 500 sq. m. the open space around the building is mentioned, not less than 4.5m.
- **Industrial buildings -** in case of industrial building, open space not less than 4.5 m for heights up to 15 m, width and increase of 0.25 m for every increase of 1 m of fraction thereof inheight.
- **IT/ITES and other Corporate Buildings** - in the case of plot up to 750 sq m the minimum setbacks around the building not less than3
- In case of plot above 750 sq m the minimum setbacks around the buildings is mentioned, not less than 4.5m.

Table 4: Provision of exterior open spaces around the buildings

Sl. No.	Height of the building (in m.)	Exterior open spaces tobe left out on all side in m. (front, rear and sides in eachplot)
1.	15 and above up to 18	6
2.	More than 18 & up to 21	7
3.	More than 21& up to 24	8
4.	More than 24 & up to 27	9
5.	More than 27& up to 30	10
6.	More than 30 & up to 35	11
7.	More than 35 & up to 40	12
8.	More than 40& up to 45	13
9.	More than 45& up to 55	14
10.	More than 55	15

4. Mobility with the Prohibited and Regulated area–Road Surfacing Pedestrian ways, non – motorized Transport etc. ---

The surrounding area of the Anantha Basudeva temple is covered with metalled road & cart track road. Since it is a city area, the primary mode of transportation is by personalized mode i.e. by motorcycles, scooters, bicycles, cars, jeeps, auto-rickshaws, buses, etc. The protected area is allowed only for pedestrians.
However, the Bhubaneswar Development Authority (BDA) has also prepared some rules as per part II (29) of Regulations 2008, as below:

Every building/ plot shall abut a public/ private means of access like streets/roads of duly formed of width as specified in clause 4, Part – 3 of National Building Code of India (NBC)2005.
In no case, development of plots shall be permitted unless it is accessible by a public/private street of width not less than6m.

In case of institutional, administrative, assembly, industrial and other non-residential and non-commercial activities, the minimum road width shall be12m.

5. Streetscapes, Facades and new construction

There is no specific account made in the above said act and regulations regarding facades. However for streetscape and new construction, the details are already stated in the above paras.

अनुलग्नक –IV
ANNEXURE -IV

अनंत वासुदेव मंदिर, भुवनेश्वर शहर, मोहल्ला-ओल्ड टाउन भुवनेश्वर, जिला खुर्द (पुरी), ओडिशा की सर्वेक्षण योजना, सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 537

Survey Plan of Anantha Basudeva temple, Bhubaneswar city, Locality - Old Town Bhubaneswar, District - Khurda (Puri), Odisha, Survey Plot No.537

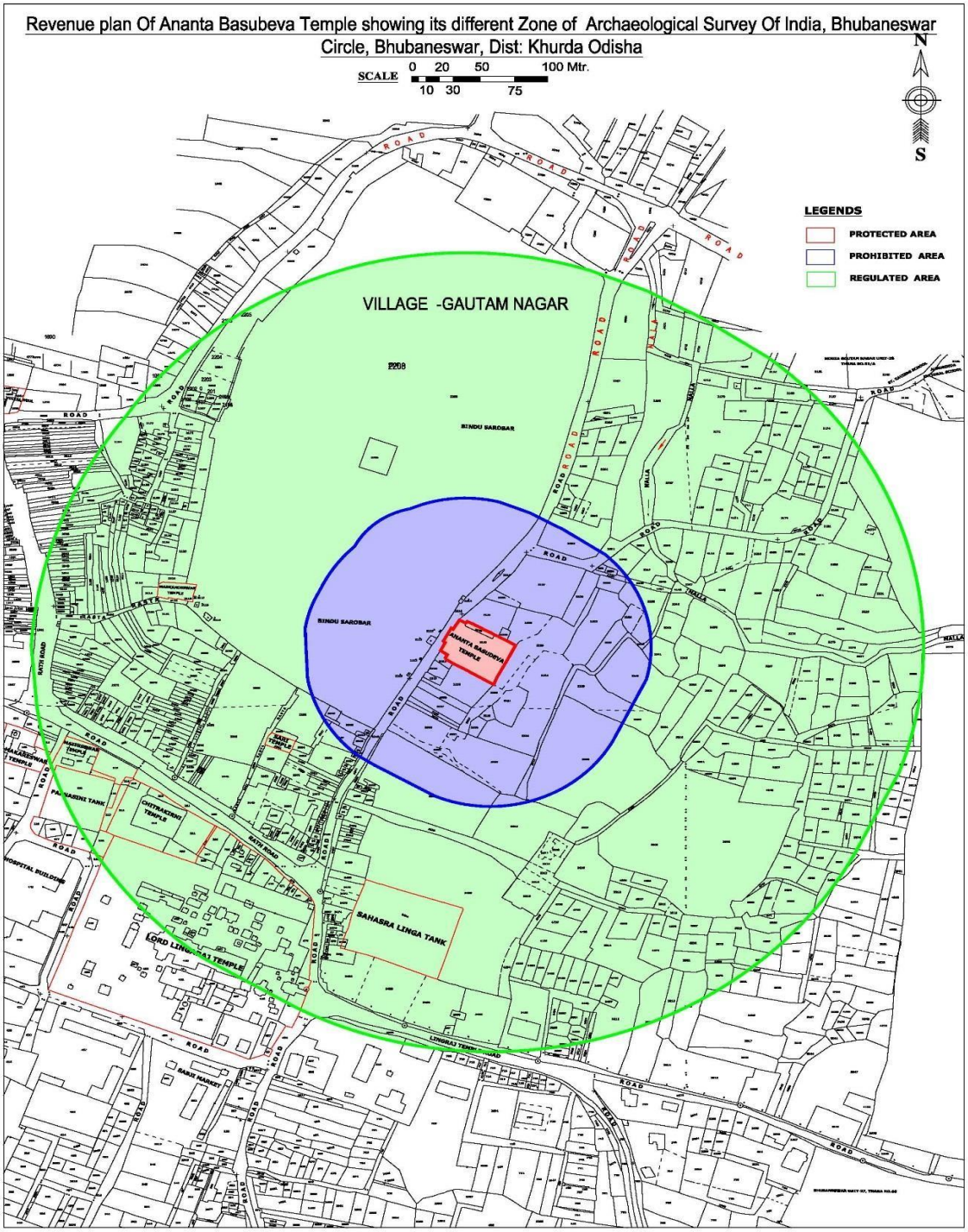
Revenue plan Of Ananta Basubeva Temple showing its different Zone of Archaeological Survey Of India, Bhubaneswar Circle, Bhubaneswar, Dist: Khurda Odisha
SCALE 0 20 50 100 Mtr.
10 30 75
N
S
LEGENDS
PROTECTED AREA
PROHIBITED AREA
REGULATED AREA
VILLAGE -GAUTAM NAGAR
BINDU SAROBAR
ANANTA BASUDEVA TEMPLE
SAHASRA LINGA TANK
LORD LINGARAJ TEMPLE
ROAD

अनुलग्नक –V
Annexure-V

अनंत वासुदेव मंदिर, भुवनेश्वर शहर, मोहल्ला-पुराना शहर भुवनेश्वर, जिला खुर्द (पुरी), ओडिशा की शहर विकास योजना, सर्वेक्षण प्लॉट संख्या-537

City Development Plan for Anantha Basudeva temple, Bhubaneswar city, Locality - Old Town Bhubaneswar, District - Khurda (Puri), Odisha, Survey Plot No. 537

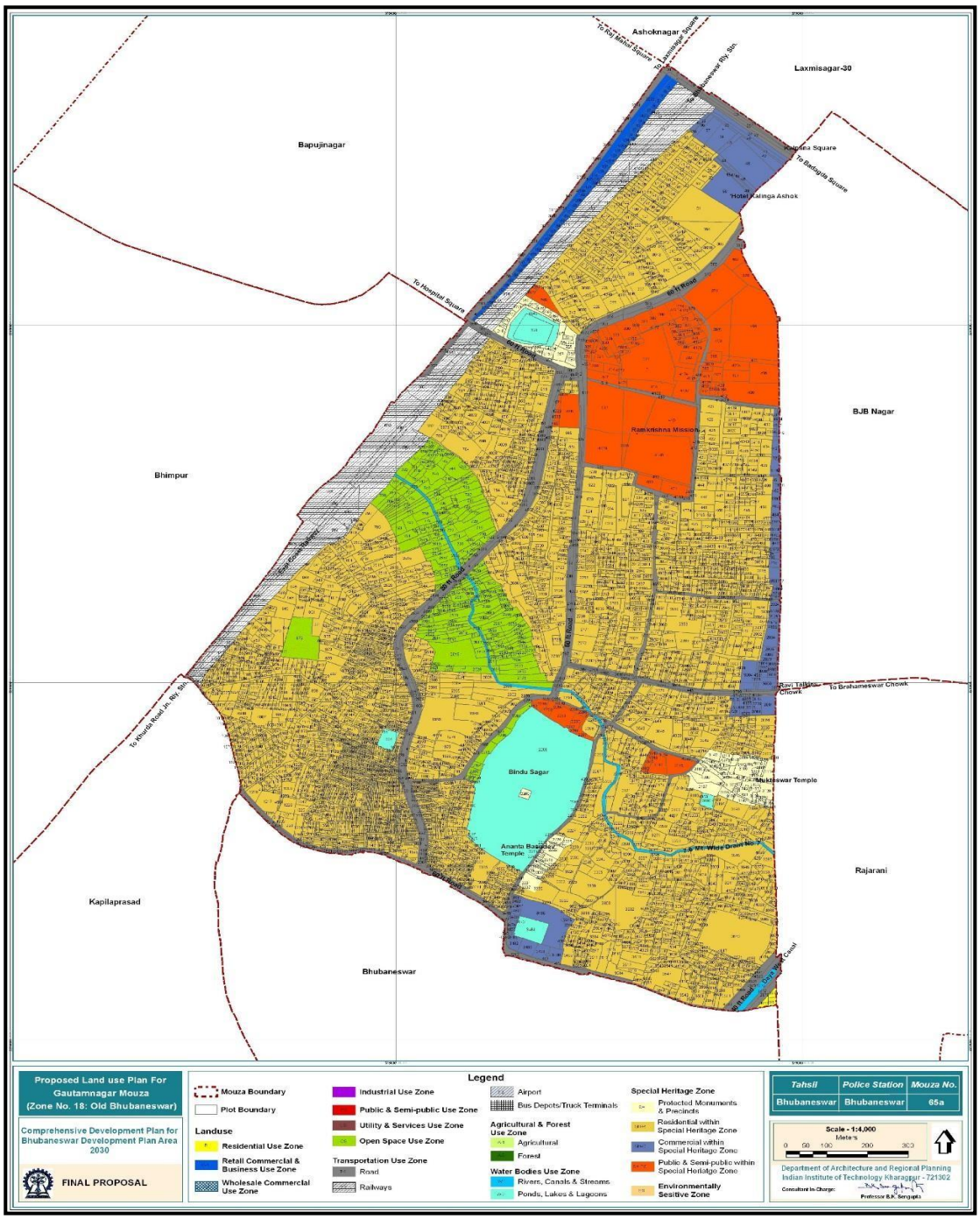

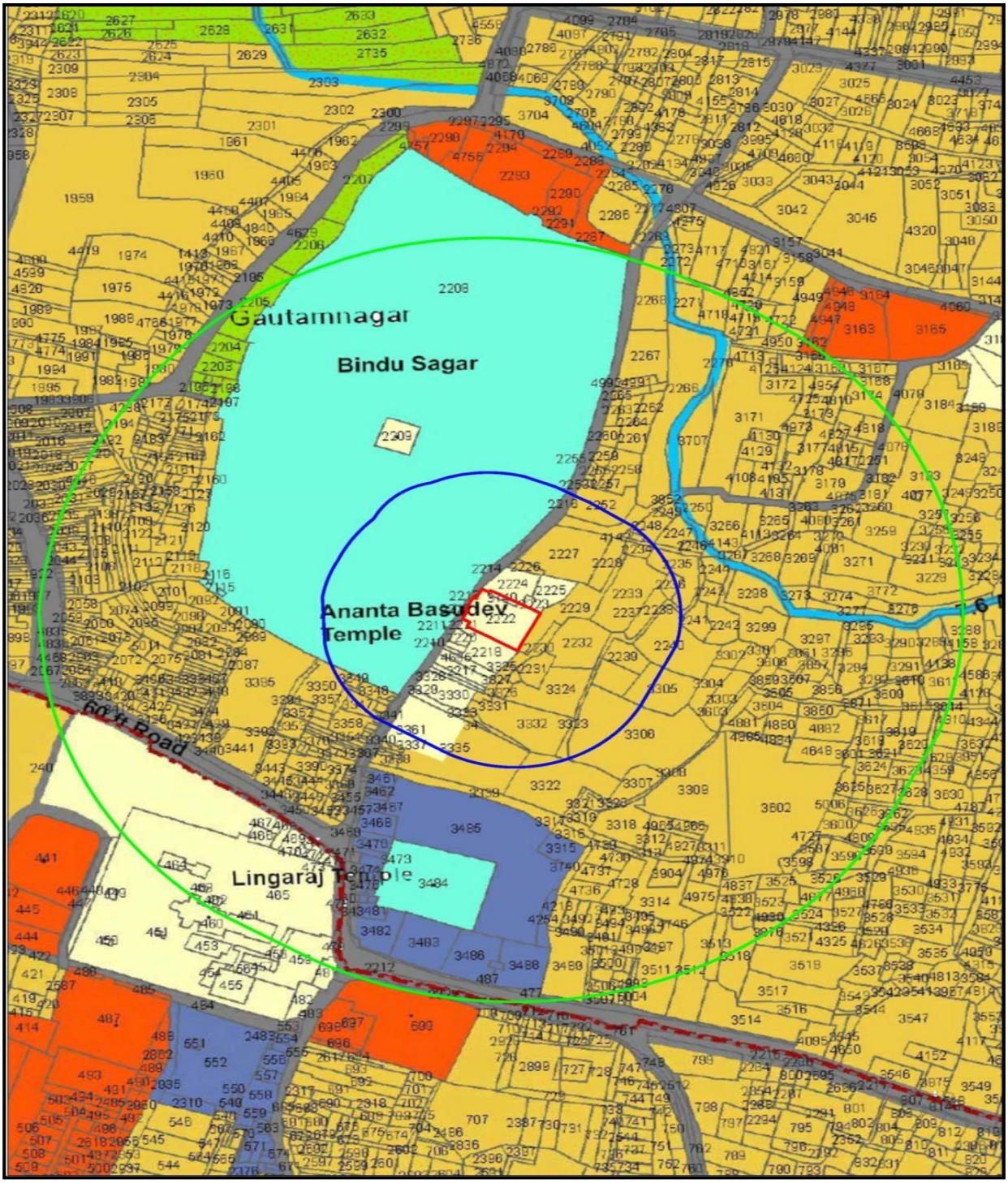
Gautamnagar
Bindu Sagar
Ananta Basudev Temple
60 ft Road
Lingaraj Temple

अनुलग्नक-VI
ANNEXURE -VI

स्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्र के चित्र

Images of the Monument and its surroundings

चित्र-1, अनंत वासुदेव मंदिर
Fig1,The Anantha Basudeva,Temple

चित्र-2, अनंत वासुदेव मंदिर
Fig2,The Anantha Basudeva,Temple

चित्र-3, अनंत वासुदेव मंदिर का उत्तरी भाग

Fig3, Northern side ofThe Anantha Basudeva,Temple

चित्र-4, अनंत वासुदेव मंदिर का दक्षिणी भाग

Fig4, Southern side ofThe Anantha Basudeva,Temple

चित्र-5, अनंत वासुदेव मंदिर का पूर्वी भाग
Fig5, Eastern side of The Anantha Basudeva, Temple

चित्र-6, अनंत वासुदेव मंदिर का पश्चिमी भाग
Fig6, Western side of The Anantha Basudeva, Temple

चित्र-7 और 8, बिन्दु सागर तालाब के बीच स्थित ब्रह्मा मंदिर

Fig7& 8, Brahma temple amidst the Bindu Sagar pond

चित्र-9, पश्चिम की ओर से मंदिर का प्रवेश द्वार

Fig 9, Entrance to the temple from west